

राजस्थान सरकार

Government of Rajasthan

निदेशालय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग

Directorate of Mines & Geology,

खनिज भवन / Khanij Bhawan, उदयपुर / Udaipur, [313001]

क्रमांक: निदे./सांख्य/बीआर/2017-18/662

दिनांक: 10-08-2018

आदेश

- विषय :-** खनन पट्टो को बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर (BRN) आवंटित किये जाने के संबंध में ।
- संदर्भ :-** निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.23(5)/2/ टीएफसी/डीईएस/बीआर/36828-2 दिनांक 7.07.2017 एवं प.23(5)/2/टीएफसी/डीईएस/बीआर/118 दिनांक 13.07.2018

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.23(5)/2/ टीएफसी/डीईएस/बीआर/36828-2 दिनांक 17.07.2017 एवं प.23(5)/2/टीएफसी/डीईएस/बीआर/118 दिनांक 13.07.2018 (राजस्थान राजपत्र विशेषांक में अधिसूचना दिनांक 21.09.2016) 13 वें वित्त आयोग में सांख्यिकी सुदृढीकरण के अन्तर्गत केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार राज्य में सभी प्रतिष्ठान /व्यवसाय जो पहले से स्थापित है या जो व्यवसायी प्रतिष्ठान/व्यवसाय स्थापित करने की ईच्छा रखते है उनको एक युनिक " बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर (BRN) प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न एक्टों में पंजिकृत प्रतिष्ठानों/व्यवसायों की एकट वार डायरेक्ट्री तैयार करना और राज्य के औद्योगिक एवं व्यवसायिक परिदृश्य तैयार करना इसके साथ ही इस प्रकार विभागीय योजना तैयार करने में सहायक होंगे ।

इस हेतु राजस्थान राज्य में उद्यमों का एक विशिष्ट ढांचा विकसित किये जाने के उद्देश्य से राजस्थान राजपत्र में दिनांक 21.09.2017 को अधिसूचना प्रकाशित की जा चुकी है तथा बिजनेस रजिस्टर के वेब पोर्टल <http://br.raj.nic.in> के द्वारा दिनांक 13.12.2016 से ऑनलाईन बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर जारी करने का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है एवं खान एवं भूविज्ञान विभाग के Mines and Mineral Development & Regulation Act 1957 को भी इसमें समाविष्ट कर लिया गया है । अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अपने जिलों में समस्त खनन पट्टों प्रधान/अप्रधान (मेजर/माईनर) का संबंधित खनन पट्टा धारक द्वारा (नये/पुराने) को एक माह के भीतर बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त करना है । समस्त खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है कि यह कार्य एक माह में पूर्ण कर सूचना निदेशालय, खान एवं भूविज्ञान विभाग को भिजावे। यदि कोई नया खनन पट्टा स्वीकृत होता है तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर खनन पट्टे की संविदा निष्पादन करने से पूर्व स्वीकृतिधारी से प्राप्त करने की औपचारिकता भी पूर्ण करावे।

बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर हेतु समस्त जिलों में उप/सहायक निदेशक कार्यालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग (जिला कलेक्ट्रेट परिसर में) संबंधित जिला मुख्यालय को नोडल ओफिसर नियुक्त किया गया है। खनन पट्टाधारक द्वारा यह 16 अंकों का बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर वेब पोर्टल पर स्वयं द्वारा सूचना भरकर निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है कुछ समस्या होने पर संबंधित नोडल ओफिसर से सम्पर्क किया जा सकता है इसमें आईडी प्रुफ के रूप में आधार कार्ड नम्बर का प्रयोग करने से बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त करने में आसानी रहेगी ।

यह कार्य निर्धारित समय में सम्पादित किया जाना आवश्यक है क्योंकि राज्य स्तर पर श्रीमान् मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार द्वारा मोनीटर किया जा रहा है ।

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)IAS
निदेशक,
खान एवं भूविज्ञान विभाग,
उदयपुर राजस्थान

क्रमांक: निदे./सांख्य/बीआर/2017-18/663-760

दिनांक: 10-08-2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, निदेशालय, राज0, जयपुर ।
- 2- अतिरिक्त निदेशक (खान) मुख्यालय, केन्द्रिय कार्यालय, उदयपुर ।
- 3- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के0 का0, उदयपुर। विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित हैं ।
- 4- अतिरिक्त निदेशक (खान), जयपुर/उदयपुर/जोधपुर/कोटा ।
- 5- समस्त उप-निदेशक/सहायक निदेशक (जिला नोडल आफिसर बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर), आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, जिला कलेक्ट्रेट.राजस्थान ।
- 6- अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर/कोटा/भीलवाडा/उदयपुर/राजसमन्द/अजमेर ।
- 7- समस्त खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता को भेजकर लेख है कि उपरोक्त समस्त दिशा-निर्देशों की पालना की जावे ।

(दिनेश कुमार चौहान)
खनिज अर्थशास्त्री



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांकRAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 30, बुधवार, शाके 1938-सितम्बर 21, 2016
Bhadra 30, Wednesday, Saka 1938-September 21, 2016

भाग 1 (ख)

(महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें)

आयोजना विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 20, 2016

संख्या एफ. 23(5)1/टीएफसी/डीईएस/बी.आर./57207 :- राज्य के सभी प्रतिष्ठान/व्यवसाय, जो पहले से स्थापित है या जो उद्यमी प्रतिष्ठान/व्यवसाय स्थापित करने की इच्छा रखते हैं, के लिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा मुख्य आर्थिक गतिविधि कोड राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2008 (समस्त आर्थिक गतिविधियाँ) के द्वारा निर्धारित करके उद्यमों का एक विशिष्ट ढाँचा विकसित किया जाना है जो कि बिजनेस रजिस्टर के नाम से जाना जायेगा, यह सभी उप-क्षेत्रों यथा व्यापार, होटल, रेस्टोरेन्ट, परिवहन, संचार, भू-राजस्व, कानूनी व व्यापारिक सेवायें, उद्योग, फ़ैक्ट्री एवं अन्य वे सभी क्रियाकलाप जो वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में संलिप्त है तथा राज्य आय में योगदान देते हैं, के लिए होगा। जिला बिजनेस रजिस्टर जिला स्तरीय सांख्यिकीय सूचनाओं के सृजन और समय-समय पर करवायें जाने वाले सर्वेक्षणों के लिए व्यवस्थित ढाँचे के रूप में एक उपयोगी साधन होगा।

इसलिए, राज्य सरकार द्वारा बिजनेस रजिस्टर को विकसित करने के लिए सभी जिलों के उप/सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालयों में बिजनेस रजिस्ट्रेशन केन्द्र स्थापित करना आवश्यक समझा गया है। राज्य सरकार प्रशासनिक व्यवस्था के तहत बिजनेस रजिस्टर के कार्य के लिए निम्नानुसार व्यवस्था करती है:-

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	पदेन राज्य बिजनेस रजिस्ट्रार
संयुक्त निदेशक (एन.एस.एस.) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	पदेन अतिरिक्त राज्य बिजनेस रजिस्ट्रार
समस्त जिला कलेक्टर	पदेन जिला बिजनेस रजिस्ट्रार
समस्त जिला उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	पदेन अतिरिक्त जिला बिजनेस रजिस्ट्रार

राज्य स्तर पर पदेन राज्य बिजनेस रजिस्ट्रार तथा जिला स्तर पर पदेन अतिरिक्त जिला बिजनेस रजिस्ट्रार द्वारा बिजनेस रजिस्टर से सम्बंधित सम्पूर्ण कार्य का पूर्ण रूप से पर्यवेक्षण किया जावेगा।

सभी प्रतिष्ठानों/व्यवसायों के उद्यमी राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निकटतम जिला कार्यालय में स्वयं या ऑनलाईन <http://br.raj.nic.in> बिजनेस रजिस्ट्रेशन के आवेदन पत्र में विधिक नाम, व्यवसायिक संस्था का प्रकार, मुख्य व्यवसाय का पता साक्ष्य सहित इत्यादि भरकर निःशुल्क 16 अंकों का बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त करके उद्यमी प्रतिष्ठान/व्यवसाय के पंजीकरण हेतु सम्बन्धित पंजीकरण प्राधिकारी को निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पूर्व पंजीकृत संस्थान भी निर्धारित प्रकिया से बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त कर सकते हैं।

अतः अब राज्य सरकार इस अधिसूचना के द्वारा राज्य के सभी पंजीकरण प्राधिकारियों और अन्य संस्थाओं जिसमें विद्युत/जल आपूर्ति प्राधिकरण/स्थानीय निकाय/नगरपालिकायें आदि सम्मिलित हैं, को निर्देशित करती है कि वे सभी व्यवसायों/प्रतिष्ठानों का पंजीकरण/नवीनीकरण एवं सम्बन्धित कार्यों के लिये निर्धारित आवेदन पत्र स्वीकार करते समय सभी उद्यमियों से आवेदन पत्र में 16 अंकों का बिजनेस रजिस्ट्रेशन नम्बर भी समाविष्ट करावें।

यह अधिसूचना भारतीय कम्पनी एक्ट-1956 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1/1956), फ़ैक्ट्री एक्ट-1948 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 63/1948), शॉप एवं कॉमर्शियल एस्टेबलिशमेंट एक्ट-1958, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1958, कॉपरेटिव सोसायटी एक्ट-2001, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केन्द्र (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006) आदि एवं अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत होने वाले प्रतिष्ठानों/व्यवसायों पर भी प्रभावी रहेगी।

यह अधिसूचना तुरंत प्रभाव से प्रभावी होगी।

राज्यपाल के आदेश से,
अखिल अरोरा,
शासन सचिव, आयोजना



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 30, बुधवार, शाके 1938-सितम्बर 21, 2016
Bhadra 30, Wednesday, Saka 1938-September 21, 2016

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

**PLANNING DEPARTMENT
NOTIFICATION**

Jaipur, September 20, 2016

No. F 23(5)1/TFC/DES/BR/57207 :-Whereas assigning Business Registration Number (BRN) and Principal Economic Activity Code by National Industrial Classification-2008 (All Economic Activities) to the already established enterprises/firm or entrepreneur who wish to establish any enterprise/firm in the state is considered important to develop a frame of establishments, commonly known as Business Register of all sub-sector such as trade, hotels, restaurants, transport, communication, real estate. Legal & business services, industry, factories and all other activities engaged in the production of goods and services that add value to the state income. District Business Register serve as a useful tool for creation of district level statistical information and also a establish frame for conducting sector wise surveys time to time.

Therefore, the State Government has deemed it necessary to develop Business Register and establish Business Registration Centre (BRC) in all Districts of the Deputy/Assistant Director's office of Economics & Statistics Department. Under administrative setup the State Government establish following arrangement for Business Register work:-

Director and Joint Secretary, Department of Economics & Statistics	Ex- officio State Business Registrar
Joint Director (NSS), Department of Economics & Statistics	Ex- officio Additional State Business Registrar
All District Collector	Ex- officio District Business Registrar
All District Deputy/ Assistant Director, Department of Economics & Statistics	Ex- officio Additional District Business Registrar

The overall supervision of Business Register related work will be done by Ex-officio state business registrar at state level and Ex-officio additional district business registrar at district level.

All the entrepreneur of enterprises/firms gets 16 digit Business Registration Number free of cost online at <http://br.raj.nic.in> or by physical presence for registration from the nearest district office of Economics & Statistics, by filling up Business Registration form which contains the legal Name, Entity Type, Main Business Address with Proof etc. Then the entrepreneur of enterprises/firms can submit prescribed application for registration with related registering authority. All the entities already registered, before issuing date of this notification is obtain a Business Registration Number by the prescribed process.

Now, therefore by this notification the state government is hereby pleased to direct all the state registering authorities and other establishments including electricity/water supply authorities/local bodies/ municipalities etc. to incorporate the 16 digit Business Registration Number on prescribed application while accepting application for registration/ renewal and for other related works by the all entrepreneurs.

This notification is applicable on Indian Companies Act-1956 (Central Act No. 1/1956), Factories Act-1948 (Central Act No. 63/1948), Shop & Commercial Establishment Act-1958, Society Registration Act-1958, Cooperative Society Act-2001, Khadi & Village Industries Board, District Industries Centre (Micro, Small and Medium Enterprises Development Act-2006) etc. and will be applicable on establishments/ enterprises to be registered under other acts.

This notification will be effective with immediate effect.

By order of the Governor,
अखिल अरोरा,
Secretary, Plan.